

29 7/24 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील  
वादी उपर। वकील वादी वाद-पत्र को  
नोट-प्रेस में खारिज करने का निर्देश  
दिया। हमें वकील वादी को सुना  
गया तथा पत्रावली का अवलोकन  
दिया गया। पत्रावली वर्तमान में तलबी  
के स्तर पर दायित्व है। प्रारिवादी को  
तलबी नहीं हुई है। जिस स्तर में वादी  
का वाद नोट-प्रेस में वादी व वादी  
के वकील के निर्देश पर खारिज की  
जाती है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर  
नम्बर से कम है। वाद प्रारंभ दायित्व  
दालत है।



**इपखण्ड अधिकारी**  
बहरोड़ (कोटपतली-बहरोड़)